रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102026-277276
CG-DL-E-19102026-277276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5457]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948
No. 5457]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5674(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और बाधारहित रीति में सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करने के समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरलीकृत बनाने तथा पारदर्शिता और दक्षता का संवर्धन करता है:

और, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के पश्चात अपने पत्र सं. 13(9)/2023-EG-II तारीख 24 अप्रैल 2026 द्वारा सहकारिता मंत्रालय को भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अभिकरण कहा गया है) को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का कार्य करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का प्रयोग करने और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अधीन उसे अधिसूचित करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए प्राधिकृत किया है;

और, उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सुशासन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रयोजन कहा गया है) सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रयोग के लिए आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और उक्त

प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन का कार्य स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त अभिकरण, बीबीएसएसएल के पोर्टल (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मामला का गया है) पर बीज के प्रापण और वितरण में केवल वास्तविक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के दौरान केवल किसानों की पहचान सत्यापित करने के लिए ही आधार अधिप्रमाणन का कार्य करेंगे ।

अत:, अब उक्त मंत्रालय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् : —

1. (1) उक्त अभिकरण अधिनियम में यथा-उपबंधित, अधिप्रमाणन के प्रयोजन से आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा ।

(2) उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है, उक्त अभिकरण आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य तरीकों के बारे में सूचित करेंगे और आधार संख्या धारक को आधार अधिप्रमाणन करने से मना करने, या उसके असमर्थ होने पर किसी सेवा से इनकार नहीं करेंगे, अर्थात्: —

(क) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड

(ख) मतदाता पहचान पत्र

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20-MoC/107/2025-MoC (123945)]

रमण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

S.O. 5674(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had authorised *vide* its letter number 13(9)/2023-EG-II dated the 24th April 2026, the Ministry of Cooperation, to allow Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) (hereinafter referred to as the said Agency) for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) to perform Aadhaar authentication and to use Aadhaar number during authentication for establishing the identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Agency shall perform the Aadhaar authentication only for verifying the identity of farmers during registration and approval in BBSSL's digital platform to ensure only genuine farmers participate in procurement and distribution of seed in its portal (hereinafter referred to as the use case).

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The said Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

   (2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, the Aadhaar authentication is on voluntary basis, the said Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

   (a) Permanent Account Number (PAN) Card;

   (b) Voter Identity Card

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 20-MoC/107/2025-MoC (123945)]

RAMAN KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.19 16:06:20 +05'30'